रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2008.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 4 नवम्बर, 2008 / 13 कार्तिक, 1930

हिमाचल प्रदेश सरकार

TECHNICAL EDUCATION VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, 25th October, 2008

No. EDN(TE)A(4)1/2008.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Sub-Committee of State Council for Vocational Training (S.C.V.T.) to look into the norms/guidelines and other issues relating to de-affiliation/affiliation of S.C.V.T. Courses and submit its recommentation. The above Sub-Committee shall consist of the following members:—

1.	Chief Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh	*Chairperson*
2.	Addl. Chief Secretary, (Labour & Employment) to the Govt. of Himachal Pradesh.	*Member*
3.	Pr. Secretary (Finance) to the Govt. of Himachal Pradesh	*Member*

4.	Pr. Secretary (T.E.) to the Govt. of Himachal Pradesh	*Member*
5.	Pr. Secretary (Law) to the Govt. of Himachal Pradesh	*Member*
6.	Chairman, H.P. State Electricity Board, Shimla-04	*Member*
7.	Pr. Secretary (Industries) to the Govt. of Himachal Pradesh	*Member*
8.	Secretary (Tourism) to the Govt. of Himachal Pradesh Himachal Pradesh.	*Member*
9.	Director, Technical Education Member H.P. Sundernagar, Distt. Mandi.	*Secretary*

By order,
Sd/-
Pr. Secretary.

तकनीकी षिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रषिक्षण विभाग

अधिसूचूचना

शिमला–2, 18 अक्तूबर, 2008

संख्या ई. डी.एन. (टी ई) ए(3) 5 / 2006.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा एव्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में आचार्य (बी0 फारमेसी), वर्ग–1 (राजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–**(1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा,व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग आचार्य (बी0 फारमेसी), वर्ग–। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम 2008 हैं ।

(2) ये नियम राजपत्र , हिमाचल प्रदेश मे प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगें।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

उपाबन्ध –क

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के बी0 फारमेसी महाविद्यालय में आचार्य (बी0 फारमेसेसी), (वर्ग I, राजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1.	पद का नाम	:	आचार्य (बी0 फारमेसी) ।
2.	पदों की संख्या	:	02 (दो) ।

3.	वर्गीकरण	:	वर्ग –1 (राजपत्रित) ।
4.	वेतनमान	:	16400–450–20900–500–22400 / –रुपए ।
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	:	चयन ।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु	:	45 वर्ष और इससे कम ।

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत् अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी, इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु में उतनी ही छूट दी जाएगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है ।

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर / निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारी वृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे / किये गये हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किये गये हैं / किये गये थे ।

1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जायेगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति विज्ञापित किया गया हैं, या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है ।

2. अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेष लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.– अनिवार्य अर्हताः–अध्यापन से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए अर्हता और अनुभव फारमेसी में विशेषज्ञता की समुचित शाखा में पी0एच0डी0 की उपाधी (स्नातक या स्नात्कोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में उपाधी सहित) सहित अध्यापन / उद्योग / अनुसंधान में दस वर्ष का अनुभव, जिसमें से पांच वर्ष का अनुभव सहायक आचार्य के स्तर पर होना चाहिए या इसके समकक्ष । उद्योग या व्यवसाय से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए अर्हता और अनुभवः–उद्योग / यवसाय से सम्बन्धित अभ्यर्थी, जिनका फारमेसी में विशेषज्ञता की समुचित शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोतर उपाधि सहित दस वर्ष का अनुभव हो जिसमें वरिष्ठ स्तर पर कम से कम 05 वर्ष का अनुभव सहायक आचार्य के तुल्य हो, भी पात्र होंगे । वांछनीय अर्हताएंः–हिमाचल प्रदेश की रूढियों रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.– आयु : लागू नहीं । शैक्षणिक अर्हताएं : जी हां ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.–दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम अधिकारी विशेष परिस्थितियों और लिखित कारणों से आदेश दें ।

10. भर्ती की पद्वति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.– 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सेकेण्डमैंट आधार पर, 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा आधार पर ।

11. प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण की दशा में वह श्रेणिया (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तण किया जायेगा.–सहायक आचार्य (बी0 फारमेसी) में सें प्रोन्नति द्वारा ,जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवाए यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार / अन्य राज्य सरकारों / केन्द्रीय सरकार के विभागों में सदृश पद और वेतनमान में कार्यरत्त अधिकारियों में से सेकेन्डमैन्ट के आधार पर ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलो में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगातार तदर्थ सेवाए यदि कोई हो प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाऐगी कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के प्श्चात् की गई थी ।

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद पर अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझें जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे ।

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है एवहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण : अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अर्न्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवाए यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के प्श्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.–जैसी सरकार द्वारा समय. समय पर गठित की जायें ।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.:– जैसा विधि द्वारा अपेक्षित है ।

14. **सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.**—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना अनिर्वाय है।

सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाऐगा । यदि यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझें तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठयक्रम यथास्थिति हि0 प्र0 लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15.क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—(I) संकंकल्पना (क) इस नीति के अधीन हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग में आचार्य (बी0 फारमेसी) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढाया जा सकेगा ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.—प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा), रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(घ) इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर इस पक्रार चयनित व्यक्ति को, सरकारी सेवा में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(II)संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त आचार्य (बी0 फारमेसी) को 24600 / — रुपए की दर से नियत समेकित संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्प से अधिक की बढौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 450 / — रुपए (पद के वेतनमान में वार्पिक वृद्वि के बराबर) वार्षिक वृद्वि के रुप में अनुज्ञात किए जाएंगे ।

(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी.—प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होंगे ।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा पर नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठयक्रम सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय—समय पर गठित की जाए ।

(**VI**) **करार.**—अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों सें संलग्न उपाबन्ध —ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्ध और शर्तें.—(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 24,600 / — रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 450 / — रुपए की दर से (पद के वेतनमान में वार्षिक वृद्वि के बराबर) वार्षिक वृद्वि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्व सुविधाएं जैसे वरिप्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूणर्त या अस्थाई आधार पर होंगी । नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है ।

(ग) संविदात्मक नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी केवल प्रसुति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(ड.) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के विना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वत ही संविदा की समाप्ति ;पर्यावसानद्ध हो जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नही होगा ।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्तर्व्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर जैसी नियमित अधिकारी को लागू है यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का वेतनमान के न्यूनतम का हकदार होगा ।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार.–इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को किसी भी दशा में विभाग में आचार्य (बी0 फारमेसी) के रूप में नियमितिकरण / स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

16. **आरक्षण.**–सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों / पिछडे वर्ग और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गये आदेशों के अध्यधीन होगी ।

17. **विभागीय परीक्षा.**–सेवा में प्रत्येक सदस्य को हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा उतीर्ण करनी होगी ।

18. **शिथिल करने की शक्ति.**–जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचिन है वहां वह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्ही उपबन्ध (उपबन्धों) को, किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत शिथिल कर सकेगी ।

———

उपाबन्ध–ख

..... (पद का नाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य .....(नियुक्ति प्राधिकारी का पद नाम) के माध्यम से, निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्रारुप।

यह करार श्री / श्रीमति.....पुत्र / पुत्री श्री .....निवासी ..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पष्चात **''प्रथम पक्षकार''** कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के

राज्यपाल के मध्य ..... (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् **''द्वितीय पक्षकार''** कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ..... को किया गया ।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त **''प्रथम पक्षकार''** को लगाया है आरै प्रथम पक्षकार ने .....(पद का नाम) के रुप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी है।

1. यह कि प्रथम पक्षकार .....(पद का नाम) के रुप में .....से प्रारम्भ होने और .....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रुप से उल्लिखित किया गया है और दोनो पक्षकारो द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस अर्थात .....दिन को स्वयंमेव ही समाप्त (पर्यवसित) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ..... रुपए प्रतिमाह होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि निमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदात्मक नियुक्ति, किसी भी दषा में सेवा में नियमितिकरण के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

5. संविदा पर नियुक्त .....(पद का नाम), एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्तिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त ....(पद का नाम) को, किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।

6. नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वत ही संविदा का समापन (पर्यावसान) हो जाएगा । संविदा पद नियुक्त .....(पद का नाम) कर्त्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा।

7. संविदा पर नियुक्त अधिकारी का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा ।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे असथाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियो का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुन परीक्षण किया जाना चाहिए ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे जाना अपेकक्षत हो तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी अधिकारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।

10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ इ0 पी0 एफ0 / जी0 पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा । इसके साक्ष्यस्वरुप प्रथम पक्षकार आरै द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षी की उपस्थिति में
1.....
.....
(नाम व पूरा पता)
2. .....
.....
(नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में
1. .....
.....
(नाम व पूरा पता)
2.....
.....
(नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

————————

[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN (TE) A(3)5/2006 dated 18.10.2008 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India.]

DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING

NOTIFICATION

Shimla-171002, 18.10. 2008

No. EDN(TE)A(3)5/2006.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Professor (B.Pharmacy) , Class-I (Gazetted) in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely :-

1. Short title and Commencement.—(1) (i) These Rules may be called the Himachal Pradesh Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Professor (B. Pharmacy) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Raj patra, Himachal Pradesh.

BY ORDER
Sd/-
Pr.Secretary.

Annexure-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PROFESSOR (B.PHARMACY) (CLASS-I , GAZETTED) , IN THE B. PHARMACY COLLEGE, IN THE DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING , HIMACHAL PRADESH

1. **Name of the Post.—**Professor (B.Pharmacy)

2. **Number of posts .—**02 (Two)

3. **Classification.—**Class-I (Gazetted)

4. **Scale of Pay.—**Rs.16400-450-20900-500-22400.

5. **Whether Selection Post or Non-selection.—**Selection.

6. **Age for direct recruitment.—**45 years or below.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on ad-hoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on ad-hoc basis or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad-hoc* or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for scheduled castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/Autonomous Bodies who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial Constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relax able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case of candidate is otherwise well qualified:

7.—Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.— ESSENTIAL QUALIFICATION: QUALIFICATION AND EXPERIENCE FOR CANDIDATES FROM TEACHING.

Ph.D Degree (with first class Degree either at Bachelor's or Master's level) in the appropriate branch of specialization in Pharmacy with 10 years experience in Teachning/Industry/ research out of which 05 years must be at the level of Assistant Professor or equivalent.

QUALIFICATION & EXPERIENCE FOR CANDIDATES FROM INDUSTRY AND PROFESSION.—Candidates form Industry / Profession with First Class master's Degree in the appropriate branch of specialiazation in Pharmacy and with 10 years experience of which at least 05 years experience at senior level comparable to that of an Assistant Professor would also be eligible.

2. DESIRABLE QUALIFICATIONS.—(i) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotee.—Age: No Educational Qualification :Yes.

9. Period of Probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—(i) 50% by promotion failing which on secondment basis. (ii) 50% by direct recruitment or on contract basis.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion deputation /transfer is to be made.—By promotion from amongst the Assistant professors (B.Pharmacy) who possess 05 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which on secondment basis from amongst the officers working in the analogous post and pay scale from other H.P. Govt./other State Govts/Central Govt. Departments.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder posts, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that adhoc Appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

(i) In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post /cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the Junior persons in the field of consideration.

Provided further that all incumbents to be considered for promotions shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the Post whichever is less;

Provided further that where a junior person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration of such promotion.

Explanation : The last proviso shall not render the junior incumbent(s) in eligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Exservicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal Pradesh State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rules-3 of the Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services)Rules,1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Govt. from time to time.

13. Circumstances under which the HPPSC is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A Candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment (regular) shall be made on the basis of viva-voce test, if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc., of which will be determined by the Commission/ other recruiting authority as the case may be.

15-A (Selection for appointment to the post by Contract appointment.—(I) CONCEPT
(a) Under this policy the Professor (B.Pharmacy) in Department of Technical Education H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.

(b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW Of H.P.Public Service Commission.—** The Principal Secretary (Tech. Edu.)after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. **H.P. Public Service Commission**.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(d) Contract appointee so selected under these Rules will not have any right to claim for regularization or permanent absorption in the Government job.

(**II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS**: The **Professor (B. Pharmacy)** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount Rs. 24600/- (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay). An amount of Rs. 450/- (equal to annual increase in the

pay scale of the post) as per annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY: The Principal Secretary (Tech. Edu.) H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS: Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e**. H.P. Public Service Commission.**

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS: As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. **the H.P. Public Service Commission** from time to time.

(VI) AGREEMENT : After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS: (a) The Contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs**. 24600/-** per month (which shall be equal to initial of the pay scale +dearness pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.450/- (equal to annual increase in the pay scale) per annum for second and third years respectively and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contractual Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization in service at any stage.

(d) Contractual Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(e) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(h) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officer at the minimum of the pay scale.

(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT: The candidate engaged on contract basis under these Rules shall have no right to claim for regularization/permanent absorption asProfessor (B.Pharmacy) in the Department at any stage.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997 .

18. Power to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by orders for reasons to be recorded in writing and in consultation with the HPPSC, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

Annexure-B

Form of contract / agreement to be executed between the _____(Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through _____(Designation of the Appointing uthority).

This agreement is made on this _____day of _____in the year _____Between Sh./Smt. _____S/O/ D/O Shri _____R/O _____ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through _____(Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a ___ (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions.

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a _____(Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of _____and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall iso- facto stand terminated on the last working day *i.e.* on _____ and information notice shall not be necessary .

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs._____per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed /posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization of service at any stage.

5. Contractual _____ (Name of the post) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service . This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual _____ (Name of the post). He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

6. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shallautomatically lead to the termination of the contract. A contractual_____ (Name of the post) will not be entitle for contractual amount for the period of absence from duty.

7. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Seclected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government /Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.

9. Contract appointee shall be entitled to TA / DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official, at the minimum of the pay scale.

10. The Employees Group insurance Shceme as well as EPF / GPF will not be applicable to contractual appointee(S).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS :
1. _____
_____
(Name and Full Address).

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____
_____
(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY).

प्रशासनिक सुधार सगंठन

अधिसूचना

शिमला–2, 22 अक्तूबर, 2008

संख्या पी ई आर (ए आर) एफ (7)–2 / 98–वोल–1.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयागे करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पर (ए आर) एफ (7)–2 / 98–वोल–1, तारीख 21 जनवरी, 2006 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 21–2–2006 को प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः–

1. **सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2008 है।

(ii) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **नियम 3 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 में,—

(i) उपनियम (3) में ''सहायक जन सूचना अधिकारी'' शब्दों का लोप किया जाएगा ; और

(ii) उपनियम (4) में ''सहायक जन सूचना अधिकारी'' शब्दों का लोप किया जाएगा ;

3. **नियम 4 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 4 में, —

(i) उपनियम (2) में ''सहायक जन सूचना अधिकारी'' शब्दों का लोप किया जाएगा ; और

(ii) उपनियम (4) में ''सहायक जन सूचना अधिकारी'' शब्दों का लापे किया जाएगा ;

4. **नियम 5 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 5 में,—

(i) उप नियम (1) में ''सहायक जन सूचना अधिकारी'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ii) उप नियम (1) में मद संख्या 3 में अंक ''10'' के स्थान पर अंक ''2'' रखा जाएगा; और

(iii) उप नियम (2) में ''सहायक जन सूचना अधिकारी'' शब्दों का लापे किया जाएगा।

5. **प्ररूप ''आ'' का संशोधन.**— उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप ''आ'' में ''सहायक जन सूचना अधिकारी'' जहां—जहां वे आते हैं शब्दों का लोप किया जाएगा।

6. **प्ररूप ''इ'' का संशोधन.**— उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप ''इ'' में ''सहायक जन सचू ना अधिकारी'' जहां—जहा ं वे आते हैं शब्दों का लोप किया जाएगा, और

आदेश द्वारा,
टी0 जी0 नेगी,
प्रधान सचिव (प्र0 सु0)।

———————

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per. (AR) F (7)-2/98-Vol.-I, dated 22-10-2008 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ADMINISTRATIVE REFORMS ORGANISATION

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd October, 2008

No. Per (AR) F (7)-2/98-Vol.-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006,

which was published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra ordinary) dated 21-2-2006 *vide* this Department notification No. Per (AR) F (7)-2/98-Vo.I dated 21st January, 2006, namely:—

1. *Short title and commencement*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Right to Information (4th Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. *Amendment of rule 3.*—In rule 3 of the Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006 (hereinafter referred to as the said rules),

(*i*) in sub-rule (3), the words "Assistant Public Information Officer" shall be deleted; and

(*ii*) in sub-rule (4), the words "Assistant Public Information Officer" shall be deleted.

3. *Amendment of rule 4.*—In rule 4 of the said rules,—

(*i*) in sub-rule (2) the words "Assistant Public Information Officer" shall be deleted; and

(*ii*) in sub-rule (4) the words "Assistant Public Information Officer" shall be deleted.

4. *Amendment of rule 5.*—In rule 5 of the said rules,—

(*i*) in sub-rule (1) the words "Assistant Public Information Officer" shall be deleted.

(*ii*) in sub-rule (1) in item No.3, for the figure "10" the figure "2" shall be substituted ; and

(*iii*) in sub-rule (2) the words "Assistant Public Information Officer" shall be deleted.

5. *Amendment of Form B.*—In Form B appended to the said rules, the word "Assistant Public Information Officer" wherever these appear shall be deleted.

6. *Amendment of Form C.*—In Form C appended to the said rules, the word "Assistant Public Information Officer" wherever these appear shall be deleted.

By Order
T.G. NEGI,
Principal Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित